

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन 1940 (श0) (सं0 पटना 324) पटना, मंगलवार, 5 मार्च 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 5 मार्च 2019

एस0ओ0 46, दिनांक 5 मार्च 2019—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 93 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते है : —

संशोधन

1. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 में संशोधन— (1) बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 के उप—नियम (2) के खंड (ख) के अंत में पूर्ण विराम एक कॉलन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके बाद निम्नलिखित दो परन्तुक जोड़े जायेंगे:—

"परन्तु 1 अप्रैल, 2017 से शुरु और जून, 2017 के 30वें दिन समाप्त होने वाली अवधि के लिए व्यवसायी के द्वारा दाखिल त्रैमासिक या यथा स्थिति, संशोधित विवरणी को अधिनियम के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक विवरणी माना जाएगा, यदि उक्त व्यवसायी मार्च, 2019 के 30वें दिन या उससे पहले निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित जानकारी प्रस्तत करता है :--

THE THE INTEGER OF	1	****		1				
विवरण	अधिसूचित धारा 15(5) के अंतर्गत, वस्तुएँ	अनुसूची IV माल (सभी प्रकार की शराब के अलावा)	अनुसूची I माल	अन्य कर योग्य सामान				
				1%	6%	5%	15%	कुल
01.04.2017 को भंडार का प्रारंभिक मूल्य								
30.06.2017 को मंडार का अंतिम मूल्य								

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निहित प्रावधान मोटर स्पीरिट (सामान्यतः पेट्रोल के नाम से जाना जाने वाला), हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, वैमानिकी ईंधन तथा पेट्रोलियम क्रूड का बिक्री करनेवाले किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे।"

2. यह अधिसूचना उसके जारी होने की तारीख के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[स.सं.बिक्री—कर / विविध—69 / 2018—794)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

5 मार्च 2019

एस०ओ० 46, दिनांक 5 मार्च 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

> [स॰सं॰बिक्री—कर / विविध—69 / 2018—794)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 5th March 2019

S.O.- 46, dated 5th March 2019— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment to Bihar Value Added Tax Rules, 2005:-

Amendment

1. Amendment in Rule 19 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005.—(1) The full stop at the end of clause (b) of sub-rule (2) of Rule 19 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by a colon and thereafter the following two provisos shall be added:-

"Provided that as regards the period commencing from the 1st day of April, 2017 and terminating on the 30th day of June, 2017, the quarterly or, as the case may be, the revised return furnished by a dealer in respect of the said period shall, for the purposes of the Act, be deemed to be the annual return for the financial year 2017-18 if the said dealer furnishes the following information to the prescribed authority on or before the 30th day of March, 2019:-

Particulars	Goods notified u/s 15(5)	Schedule IV goods (other than all kinds of liquor)	Schedule I goods	Other taxable goods				
				1%	6%	5%	15%	Total
Value of opening stock as on 01.04.2017								
Value of closing stock as on 30.06.2017								

Provided further that nothing contained in the first proviso shall apply to any person who is engaged in the sale of motor spirit (commonly known as petrol), high speed diesel, natural gas, aviation turbine fuel and petroleum crude."

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[File No- Bikri-kar Vividh-69 / 2018-794]

By order of the Governor of Bihar

Dr. Pratima,

Commissioner, State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 324-571+10 डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in